नगर विकास न्यास बालोतरा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

रेरा के नियमों और प्रक्रियाओं की दी जानकारी

मरू मंच न्यूज

बालोतरा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से शुक्रवार को नगर विकास न्यास बालोतरा के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारियों, विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर्स एवं अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यशाला में राजस्थान रेरा के पुनीत कपूर एवं तन्मय गोयल ने राजस्थान रियल एस्टेट नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। पुनीत कपूर ने बताया कि रेरा का मुख्य उद्देश्य खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रियल एस्टेट निवेश को नियामकीय मानकों के अनुरूप बढ़ावा देना, परियोजनाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाना, विवादों का प्रभावी समाधान करना तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराना है।

उन्होंने बताया कि रेरा पंजीकरण के बिना किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, बुकिंग या बिक्री शुरू नहीं की जा सकती। पंजीकरण होने तक प्री-लॉन्च गतिविधियों और प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिबंध रहता है। उन्होंने रेरा पंजीकरण की आवश्यकता, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अनुमोदन, दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक वित्तीय एवं कानूनी दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत कपूर ने रेरा के सूचना एवं अनुपालन तंत्र के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। कार्यशाला में नगर विकास न्यास के सचिव अशोक कुमार, उप नगर नियोजक मो. अजहर जाटू, तहसीलदार रामनिवास गोदारा, लेखाधिकारी अनिल कुमार, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य सहित समदड़ी, सिवाना, सिणधरी, जसोल, गुडामालानी एवं धोरीमन्ना निकायों के अधिशासी अधिकारी तथा बड़ी संख्या में बिल्डर्स एवं डेवलपर्स उपस्थित रहे।